मूल वाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 70/2019 वाद

1. उदयलाल पिता बंशीलाल भट्ट ब्राह्मण, आयु 48 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. दीपक कुमार पिता बंशीलाल भट्ट ब्राह्मण, आयु 45 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. हेमन्त कुमार पिता बंशीलाल भट्ट ब्राह्मण, आयु 42 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्रीमती नारायणी पुत्री बंशीलाल भट्ट पत्नी दिनेश चन्द्र जोशी ब्राह्मण, आयु 52 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. कैलाश दास पिता जमना दास बैरागी, आयु 50 साल, निवासी लसड़ावन, तह. निम्बाहेड़ा।
2. किशनदास पिता जमनादास बैरागी, उम्र 46 साल, निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
3. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा लसड़ावन जरिये शाखा प्रबन्धक, बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा लसड़ावन।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।
5. उप पंजीयक निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 19.08.2019

प्रकरण में वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदन चपलोत एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.06.2019 को राजीनामें के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विवादित भूमि मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 203 की आराजी नं. 1089 रकबा 0.3400 हेक्टेयर में से 1/8 हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी का घोषित करते हुए शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रखी गई तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए किया जावे। पंहुच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/19/08

दिनांक 09.08.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 203 की आराजी नं. 1089 रकबा 0.3400 हेक्टेयर का बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– श्री उदयलाल, दीपक कुमार, हेमन्त कुमार, नारायणी बाई पिता बंशीलाल भट्ट आमेटा (ब्राह्मण) निवासी फलवा के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1089 उत्तरी	0.0400	0.48

2– श्री कैलाशदास, किशनदास पिता जमनादास बैरागी, सा. देह खातेदार के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1082	0.8500	10.20
1085	0.3500	4.20
1089 दक्षिणी	0.3000	3.60
1090	0.0100	गे.मु. चाह
1091	0.4200	5.04
1092	0.0100	ट्यूबवैल

कुल किता 6 कुल रकबा 1.9400 हेक्टेयर कुल लगान 23.04 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 14:58:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: